न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 128/2019 (72/2018)
GCMS NO. : 2018/00024

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. सायर वल्द अणदा जातियान काठात निवासीगण टूंकडा तहसील जैतारण।		1. देवाराम पुत्र पांचूराम जातियान गुर्जर निवासीगण टूंकडा तहसील जैतारण। 2. तहसीलदार, जैतारण। 3. पटवारी पटवार हल्का टूंकडा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री हरीओम पारिक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 28/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टूंकडा पटवार हल्का टूंकडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, रास तहसील जैतारण में खसरा संख्या 59/1 रकबा 3–06 बीघा व खसरा संख्या 72/1 रकबा 7–07 बीघा बारानी अव्वल भूमि आई हुई है। सायल उपर्युक्त वर्णित मुतदाविया आराजी का sole-owner है, मौके पर सायल का Possession है एवं तरमीम हो रखी है। गैरसायलान संख्या 01 का उक्त खसरा नम्बरान की आराजी में कोई हक व हित निहित है। उसे सायल की स्वामित्व सुदा व स्वत्व सुदा आराजी में न तो प्रवेश करने का अधिकार ळ न ही उक्त खसरा नम्बर की आराजी में दखलन्दाजी व दस्तदांजी व बेजा मजामहत पैदा करने का अधिकार है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र की साथ है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया जायेगा। वर्णित आराजी में गैरसायलान Muscles Power के आधार पर उक्त आराजी हडप कर सायल को खुद के खेत से बेदखल करने पर उतारु है जिससे सायल को असीम अपूर्णीय क्षति होगी व सायल को मल्टी सिटी ऑफ प्रोसीडिग्स का बेवजह मुकाबला करना पडेगा व खर्चे से जैर बार होना पडेगा व गैरसायलान संख्या एक द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गैर कानूनी रूप से सायल की कृषि भूमि में तामिरात खडे कर दिये तो अपूर्णीय क्षति होगी जो मुद्रा में नहीं आंकी जा सकती है। अतः हुक्त इम्तनाई व मेण्डेटरी एवं प्रोहीबिटरी फरमान का अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। गैरसायलान संख्या 2 व 3 सरकारी नुमायन्दे है। वाद पत्र प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की अनुमति हेतु अलग से अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश है। सायल ने गैरसायलान संख्या 1,2,3 के खिलाफ हुक्म इम्तनाई दवामी का सूट किया किन्तु राजस्व लोक अदालत में Mutual Consent के आधार पर रास्ता का अधिकार के तहत सायल स्वयं की पत्नि के नाम की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 60,66 में से दी और देवाराम बनाम सायर व सायर बनाम देवाराम परस्पर पीठासीन अधिकारी के Pronounce के आधार पर सायल विश्वास में आकर राजस्व न्यायालय में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा निर्णय हो इस विश्वास में सहयोग की सद्भावना में स्वयं का प्रार्थना पत्र व दावा खारिज नोट प्रेस करा दिया जबकि इस सम्बन्ध में सायल ने स्वयं के अधिवक्ता द्वारा गैरसायलान संख्या 01 को जरिये डाक रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया। उक्त आराजी में सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है यदि गैरसायलान द्वारा सायल की स्वामित्व सुदा व स्वत्व सुदा कृषि आराजी में दखलंदाजी व दस्तनंदाजी की जाती है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी व गैरसायलान द्वारा सायल के कब्जे काश्त में निर्माण कार्य किया जाता है तो भी असीम हानि होगी जो मुद्रा में नहीं आंकी जा सकती है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार मौजा टुकड़ा में खसरा नम्बर 59/1 व 72/1 की भूमि आई हुई होने के कथन सही होने से स्वीकार है। इसके अलावा इस पद में वर्णित अन्य तथ्य पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता इस प्रकार से है कि मौजा टुकड़ा में ही गैरसायल देवाराम व अन्य के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 व 71 के कुल खसरा 02 कुल रकबा 44 बीघा की भूमि स्थित है जिसकी चालू जमाबन्दी इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है इस प्रकार से जवाब देहन्दा की खसरा नम्बर 70 व 71 की भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता खसर नम्बर 59/1 व 72/1 से होते हुये पीढियो से निकलता है तथा उक्त रास्ता कदीमी है। जो मौके पर 20-22 फुट चौड़ा रास्ता है। तथा सेटलमेन्ट के समय से लगायत आज दिन तक रास्ता मौके कायम है लेकिन वर्ष 2013 में सायर ने उक्त रास्ता बन्द करने का प्रयास किया था। जिस पर जवाब देहन्दा देवाराम की ओर से कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 ए राज . काश्त . अधि . की सायर के विरुद्ध अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की गई थी। उक्त कार्यवाही में अदालत श्रीमान द्वारा पारित आदेशानुसार भूअभि.नि . व हल्का पटवारी द्वारा मौका मुहायना कर मौका फर्द बनायी गई थी। तत्पश्चात प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण दिनांक 25.07.2018 को किया गया था। नकल फैसला इस जवाब के सा[illegible] है । फैसले की पालना में गैरसायल देवाराम द्वारा नियमानुसार राशि भी जमा कर[illegible] जा चुकी है। इस प्रकार से मौके पर खसरा नम्बर 59/1 व 72/1 [illegible] जवाब देहन्दा की भूमि पर आवागमन का रास्ता निकलता है इस रास्ते बाबत तथ्यो को छुपाते हुये सायल सायर ने अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

श्रीमान के समक्ष यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें सायल सायर ने वास्तविक तथ्यो को छुपाया है एवं साफ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आया है। इसलिये सायल सायर इस प्रार्थना पत्र के जरिये किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही होने से सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें । उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेवूनियाद होने से अस्वीकार है। सायल ने इस पद में विवाद होने, बहुल्यता होने, अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने के कथन कतई झूठे लिखे है। सायल जवाब देहन्दा के विरुद्ध खसरा नम्बर 59/1 व 72/1 की भूमि पर मौके पर चल रहे रास्ते के बाबत किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत बाला के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित अनुसार सायल ने इसी प्रार्थना पत्र में वर्णित बिनाय वाद पर पूर्ण में अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जो बाद सुनवाई के खारिज हुआ है। इस प्रकार से रेस्ट ज्युडिकेटा के सिद्धान्तानुसार सायल की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नही होकर जवाब देहन्दा के पक्ष में है यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने झूठे तथ्यो का समावेश कर यह निराधार कार्यवाही की है जो काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम टूंकडा खसरा नम्बर 59/1 रकबा 3-06 बीघा व खसरा नम्बर 72/1 रकबा 7-07 बीघा बारानी अव्वल के संबंध में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में किये अभिकथनों का खण्डन करते हुए अपने जवाब में यह कथन किये कि खसरा संख्या 59/1 व 72/1 कदीमी रास्ता है जिसे सायल द्वारा बंद करने पर अप्रार्थी [illegible] सक्षम न्यायालय में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] के तहत कार्यवाही की गई थी जिसका निस्तारण दिनांक 25/07/2018 को [illegible] गया था। सायल ने वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तथा साफ हाथों से न्याया[illegible] के समक्ष नहीं आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वाद–पत्र, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/सायल द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में संपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया है। अतः प्रार्थी/सायल का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना प्रतीत नहीं होता। साथ ही प्रार्थी द्वारा बिनाय प्रार्थना–पत्र का उल्लेख भी नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। साथ ही पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः सुविधा का संतुलन का बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी/सायल के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही प्रार्थी/सायल द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता हो कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी नहीं की गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/सायल के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/सायल अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested